एक्सपोज़र प्रारूप
Exposure Draft

संदर्भः आईआरडीएआई/एफ & आई/परिपत्र सं.
Ref: IRDAI/F&I/Cir. No. दिनांक / Date: 02.05.2023

सभी निजी क्षेत्र बीमाकर्ता,
All Private Sector Insurers,

निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं के गैर-कार्यकारी निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के पारिश्रमिक संबंधी दिशानिर्देश
Guidelines on Remuneration of Non-Executive Directors and Key Managerial Persons of Private Sector Insurers

क. पृष्ठभूमिः
A. Background:

i. प्राधिकरण ने 5 अगस्त 2016 को परिपत्र संदर्भः आईआरडीएआई / एफ&ए / जीडीएल / एलएसटीडी / 155 / 08 / 2016 के अनुसार बीमाकर्ताओं के गैर-कार्यकारी निदेशकों तथा प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक संबंधी निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किये थे :
The Authority issued the following guidelines on Remuneration of Non-Executive Directors and Managing Director / Chief Executive Officer / Whole-time Directors of Insurers vide Circular Ref: IRDA / F&A / GDL / LSTD / 155 / 08 / 2016 on 5th August, 2016:

क. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं के गैर-कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक) दिशानिर्देश, 2016
a. Insurance Regulatory and Development Authority of India (Remuneration of Non-Executive Directors of Private Sector Insurers) Guidelines, 2016

ख. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक) दिशानिर्देश, 2016
b. Insurance Regulatory and Development Authority of India (Remuneration of Chief Executive Officer / Whole-time Director / Managing Director of Insurers) Guidelines, 2016

ii. उक्त दिशानिर्देश जो 1 अक्तूबर 2016 से प्रवृत्त हुए थे, निजी क्षेत्र बीमकर्ताओँ के गैर-कार्यकारी निदेशकों और सीईओ / डब्ल्यूटीडी / एमडी के पारिश्रमिक के लिए रूपरेखा हैं तथा ये दिशानिर्देश वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) द्वारा निर्धारित किये गये सिद्धांतों के सेट, अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस), जी-20 राष्ट्र मंच तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति (बीसीबीएस) की सिफारिशों पर जारी किये गये थे।
The guidelines which came into effect from 1st October, 2016 are the framework for remuneration of Non-Executive Directors and CEO / WTD / MD of private sector insurers and were issued on the set of principles brought out by the Financial Stability Board (FSB), recommendations of International Association of Insurance Supervisors (IAIS), G-20 Nations Forum and Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).

iii. उक्त दिशानिर्देश 6 वर्ष से अधिक प्रवृत्त रहे हैं तथा बीमाकर्ताओं द्वारा इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन और अनुपालन के अनुभव के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि –

The guidelines have been in force for over 6 years and based on the experience of implementation and compliance of guidelines by the insurers, it is decided to

क. उक्त दिशानिर्देशों के विस्तार में अन्य प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों (केएमपी) के पारिश्रमिक को भी लाया जाए,

a. bring remuneration of other Key Managerial Persons (KMPs) also within the ambit of the guidelines,

ख. निदेशकों और केएमपी के कुल पारिश्रमिक, परिवर्ती वेतन आस्थगन (वेरियबल पे डिफ़रल), मालस (मैलस) और कराधान द्वारा भरपाई (क्ला बैक) के उपबंधों, लेखांकन, प्रकटीकरण, आदि के संबंध में परिवर्ती भुगतान की सीमा तक अधिक स्पष्टता दी जाए, तथा

b. give more clarity to the extent of variable pay with respect to the total remuneration of Directors and KMPs, Variable Pay Deferral, Malus and Clawback provisions, Accounting, Disclosures, etc. and

ग. तदनुसार बीमाकर्ताओँ के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के पारिश्रमिक संबंधी संशोधित दिशानिर्देश जारी किये जाएँ।

c. Issue revised guidelines on remuneration of directors and key managerial persons of insurers accordingly.

ख. उद्देश्य
B. Objectives

i. क्षतिपूर्ति का प्रभावी अभिशासन सुनिश्चित करना
To ensure effective governance of compensation

ii. विवेकपूर्ण जोखिम ग्रहण के साथ क्षतिपूर्ति का सुयोजन सुनिश्चित करना
To ensure alignment of compensation with prudent risk taking

iii. प्रभावी पर्यवेक्षी निगरानी और हितधारक वचनबद्धता सुनिश्चित करना
To ensure effective supervisory oversight and stakeholder engagement

iv. पालिसीधारकों और अन्य हितधारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना
To ensure safety of policyholders and other stakeholders

इस पृष्ठभूमि में, परिपत्र संदर्भः आईआरडीएआई / एफ&ए / जीडीएल /एलएसटीडी / 155 / 08 / 2016 के अनुसार 5 अगस्त 2016 को जारी किये गये बीमाकर्ताओँ के गैर-कार्यकारी निदेशकों और एमडी / सीईओ / डब्ल्यूटीडी के पारिश्रमिक संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।
In this background, it is proposed to replace the extant guidelines on remuneration of Non-Executive directors and MD / CEO / WTD of insurers issued vide Circular Ref: IRDA / F&A / GDL / LSTD / 155 / 08 / 2016 on 5th August, 2016.

इस संबंध में प्रस्तावित दिशानिर्देशों का प्रारूप अनुबंध क और ख के रूप में प्रस्तुत है। सभी से अनुरोध है कि प्रस्तावित दिशानिर्देशों पर अपनी टिप्पणियाँ / सुझाव दें। उक्त टिप्पणियाँ / सुझाव अनुबंध-ग के रूप में संलग्न फार्मेट में आईआरडीएआई के पास ई-मेल द्वारा y.sivaprasad@irdai.gov.in को 15 मई 2023 तक पहुँच जाने चाहिए तथा उनकी एक प्रति manoj@irdai.gov.in को भेजी जानी चाहिए।
Draft Guidelines proposed in this regard are placed as Annexure A and B. All are requested to offer their comments / suggestions on the proposed guidelines. The comments / suggestions should reach IRDAI in the format attached as Annexure-C by 15th May, 2023 by e-mail at y.sivaprasad@irdai.gov.in with a copy to manoj@irdai.gov.in.

Manoj Chhatwani

(मनोज कुमार / Manoj Kumar)
महाप्रबंधक (वित्त व निवेश) / General Manager (F&I)